विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक कंडिका 'वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में संक्रमण के लिए तैयारी' सहित बिक्री, व्यापार आदि पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, वाहनों पर कर, खनिज प्राप्तियाँ एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी से संबंधित 14 कंडिकायें सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 49.50 करोड़ है, जिसमें से ₹ 39.66 करोड़ कर का अवरोपण/अनारोपण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस मे अस्वीकार्य छूट, मोटर यान कर की अवसूली, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अवरोपण एवं ₹ 9.84 करोड़ अनियमित एवं परिहार्य व्यय से संबंधित था। विभागों द्वारा ₹ 16.64 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकारते हुए ₹ 0.56 करोड़ की वसूली की गयी।

राशि ₹ 11.03 करोड़ से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभागों द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया, जिसमें मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अवरोपण (₹ 1.75 करोड़), चयनित क्षेत्र के उपचार मे बिना रोपण कार्य के अनियमित एवं अधिक व्यय (₹ 4.51 करोड़) एवं ऐसे क्षेत्र जहाँ पहले से कार्य किया जा चुका था, में सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन पर किया गया परिहार्य व्यय (₹ 3.97 करोड़) सम्मिलित है।

कुछ मुख्य प्रेक्षणों का संकलन नीचे वर्णित है:

1. सामान्य

राज्य शासन की वर्ष 2016–17 की कुल प्राप्तियाँ ₹ 53,685.25 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2017–18 में कुल प्राप्तियाँ ₹ 59,647.08 करोड़ थी। राज्य शासन का वर्ष 2017–18 का संग्रहीत राजस्व ₹ 26,235.10 करोड़ था (कुल राजस्व प्राप्तियों का 43.98 प्रतिशत); भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 33,411.98 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 56.02 प्रतिशत) था।

(कंडिका 1.2.1)

राजस्व मदों स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, माल तथा यात्री कर, वाहन कर एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान के विरूद्ध 1.67 से 72.97 प्रतिशत तक कम रही जबकि नई आबकारी नीति, 2017 के सफल कार्यान्वयन के कारण राज्य आबकारी की वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से 27.95 प्रतिशत अधिक थी। नई आबकारी नीति के कारण छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया, जिससे अवैध मदिरा की बिक्री में कमी आयी एवं मदिरा पर काउंटर वैलिंग डयूटी का आरोपण हुआ।

(कंडिका 1.2.2)

31 मार्च 2018 की स्थिति में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, विद्युत कर तथा शुल्क, वाहन कर, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, एवं खनिज प्राप्तियों से ₹ 3,545.13 करोड़ बकाया थे, जिसमें से ₹ 1,314.56 करोड़ पाँच वर्ष से भी अधिक समय से लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने शासन को समय–समय पर समीक्षा और बकाया के परिसमापन के लिए बकाया राजस्व का डेटाबेस बनाने के लिए अनुशंसा (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016–17) की थी परंतु शासन ने अनुशंसा का पालन नहीं किया क्योंकि यह देखा गया कि वन एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग कोई भी सूचना प्रदाय करने मे विफल रहे एवं उपरोक्त छः विभागों के राजस्व की बकाया राशि पिछले वर्ष की तुलना मे ₹ 2,690.26 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,545.13 करोड़ हो गई।

(कंडिका 1.3)

निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि वर्ष 1994–95 से 2017–18 के दौरान विभागों को जारी 2,600 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 10,592 कंडिकाओं जिसमें राशि ₹ 9,194.44 करोड़ के सम्भावी राजस्व सन्निहित है, जुलाई 2019 तक बकाया थे। वर्ष 2017–18 के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा के 81 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 49 निरीक्षण प्रतिवेदनों (60.49 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर भी कार्यालय प्रमुख से प्राप्त नहीं हुए।

(कंडिका 1.4.1)

वर्ष 2017–18 के दौरान दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन किया गया। 141 कंडिकाओं के चर्चा के विरूद्ध केवल 52 कंडिकाओं का निराकरण किया जा सका।

(कंडिका 1.4.3)

अवधि 2017–18 में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों द्वारा 87 नस्तियाँ/दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये, जो खतरों का सूचक है। फलस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा संव्यवहारों की सत्यता की प्रमाणिकता नहीं की जा सकी तथा धोखाधड़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।

(कंडिका 1.4.4)

जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व, विद्युत पर कर तथा शुल्क, खनिज प्राप्तियाँ, वाहनों पर कर एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी के 501 इकाईयों में से 81 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षा द्वारा कर, शुल्क एवं फीस का अवरोपण/अनारोपण, राजस्व की हानि, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि के 22,998 प्रकरणों में कुल सन्निहित राशि ₹ 4,227.27 करोड़ की अनियमितताएँ इंगित की गई। संबंधित विभागों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शायी गई अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों के 17,162 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 702.81 करोड़ को स्वीकार किया गया एवं 446 प्रकरणों में केवल ₹ 1.93 करोड़ की वसूली की गई।

(कंडिका 1.6)

2. वाणिज्यिक कर

वर्ष 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 2.4) पर लोक लेखा समिति द्वारा 26 मार्च 2015 को 22वां प्रतिवेदन में अपनी अनुशंसा देते हुए कहा कि विभाग उन प्रकरणों में, जहाँ फॉर्म 'एफ' के संदेहास्पद सत्यता के आधार पर कर छूट का दावा/प्रदान किया गया था, तत्काल कर वसूल करें। इसके आगे, वर्ष 2009–10 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 2.15.2) पर लोक लेखा समिति द्वारा 4 जनवरी 2018 (57वीं प्रतिवेदन) में अपनी अनुशंसा देते हुए कहा कि विभाग नारियल तेल में कर पर स्पष्ट निर्देश जारी करे ताकि भ्रम से बचा जा सके और तत्काल कर की वसूली करें। हालांकि विभाग द्वारा लोक लेखा समिति के दोनों कंडिकाओं पर अनुशंसा का अनुपालन नहीं किया गया (जुलाई 2019)।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करे।

(कंडिका 2.4)

कुल 30 सर्किलों में से सात चयनित सर्किलों में संक्रमणकालीन क्रेडिट मामलों की जांच मे देखा गया कि डीलरों को उनके वैट रिटर्न में दिखाए गए आगत कर छूट के अतिरिक्त ₹ 2.70 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी गई, 15 करदाताओं ने पिछले छः महीनों के लिए तिमाही रिटर्न जमा नहीं किए, लेकिन अनियमित रूप से

₹ 2.40 करोड़ के आईटीसी का दावा किया एवं एक करदाता ने, जो जीएसटी व्यवस्था के पूर्व वैट, केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर में पंजीकृत नहीं था, ट्रान–1 के माध्यम से अनियमित रूप से ₹ 19.60 लाख आईटीसी अग्रेनीत किया।

(कंडिका 2.5.5.1)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 12 प्रकरणों में वैट की कम दर लागू की गई, जिसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 3.26 करोड़ का अवरोपण हुआ। इसके अलावा ₹ 6.51 करोड़ का शास्ति भी आरोपणीय है।

(कंडिका 2.6)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 32 व्यवसायियों के 34 प्रकरणों में बगैर घोषणा पत्र फॉर्म 'सी' के रियायती दर पर कर मान्य किए जाने से केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ₹ 6.40 करोड़ का अवरोपण।

(कंडिका 2.7)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पाँच व्यवसायियों के छः प्रकरणों में बिना वैधानिक ई–1 एवं सी फॉर्म के कर की छूट प्रदाय की गयी जिसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 2.31 करोड़ का अवरोपण हुआ।

(कंडिका 2.8)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आठ व्यवसायियों के 12 प्रकरणों में स्थानीय क्षेत्र के बाहर से मालों के प्रवेश पर कर के गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर की राशि ₹ 6.45 करोड़ की कम वसूली।

(कंडिका 2.9)

3. मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

उप पंजीयक, जांजगीर द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की छूट की अधिसूचना वापस लेने के बाद वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की अस्वीकार्य छूट ब्याज सहित ₹ 1.11 करोड़।

(कंडिका 3.5)

4. वाहनों पर कर

पाँच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (क्षे.प.अ.)/अतिरिक्त क्षे.प.अ. (अ.क्षे.प.अ.)/जिला परिवहन अधिकारी (जी.प.अ.) द्वारा वाहन मालिकों से मोटर यान कर का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहने से 1,138 वाहन स्वामियों से ₹ 2.60 करोड़ का कर एवं शास्ति ₹ 2.84 करोड़ बकाया रहा।

(कंडिका 4.5)

5. करेतर राजस्व

क. वानिकी तथा वन्य प्राणी (प्राप्तियाँ)

खनिज साधन विभाग के साथ वन क्षेत्रों से निकाले और ले जाने वाले खनिजों की मात्रा के आंकड़ों के मिलान के लिए विभाग ने कोई प्रणाली विकसित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व ₹ 42.88 लाख की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.5)

ख. खनिज प्राप्तियाँ

उप संचालक, रायपुर द्वारा उत्पादन अवधि के औसत उत्पादन, जैसा कि खनन योजना में दर्शाया गया है, को लेने के बजाये संपूर्ण लीज अवधि को ध्यान में लिया गया जिसके कारण औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना गलत हुई, परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.76 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.11)

जिला खनि अधिकारी, कवर्धा ने औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना हेतु पट्टे के अनुबंध (मार्च 2017) के समय एल्युमीनियम के मूल्य को लेने के बदले आवेदन (अक्टूबर 2016) के समय लागू मूल्य को गणना में लिया जिसके फलस्वरूप औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना गलत हुई जिसके कारण राशि ₹ 0.99 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.12)

6. वानिकी तथा वन्य प्राणी (व्यय)

दो वनमंडलाधिकारियों ने क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अपात्र स्थानों का चयन किया, चयनित क्षेत्र के उपचार पर वृक्षारोपण कार्य किये बिना ही ₹ 3.73 करोड़ का अनियमित व्यय किया एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य कैम्पा) द्वारा निर्धारित नार्म्स से कम पौधों का रोपण कर ₹ 0.79 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

(कंडिका 6.2)

वनमंडलाधिकारी, कोंडागाँव (दक्षिण) द्वारा ऐसे क्षेत्र मे सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन पर ₹ 3.97 करोड़ का परिहार्य व्यय किया, जहां पूर्व में कार्य निष्पादित किया जा चुका था।

(कंडिका 6.3)

वनमंडल की कार्य आयोजना के अनुसार वृक्षारोपण प्रतिबंधित होने के बावजूद ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संरक्षित कार्यवृत्त में वनमंडलाधिकारी, सरगुजा द्वारा वृक्षारोपण पर ₹ 1.36 करोड़ का परिहार्य व्यय।

(कंडिका 6.4)